

॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1155 / 12-1 , गोपेश्वर,

दिनांक सितम्बर

20

2016 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

विषय:- कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 2819/10 एल0ए0 दिनांक 15.09.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण प्रस्तावक विभाग के माध्यम से किया गया जो निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	In reply to point no 2. It is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-1. The muck disposal is proposed to be done on nap land. Which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha is para-A-1(ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B-2.4 of online Part-1 further, the non forest land has not been shown in para-B-2-1, B2-2 & B2-3 of online Part-1 also.	Para A-1(ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non forest land की प्रविष्टि नहीं हो पा रही है।
2.	In reply to point no-3 it is mentioned that the revised geo-referenced digital map showing geo-coordinates at an interval of 200 mtr to 300 mtr including all curves is uploaded at para-c (iv) of online Part-1. But it is seen from the geo-referenced map uploaded that the geo-coordinates have been shown at 6 points (A, B,C,D, E&F) only for the road alignment as per legends (blue dots) which does not cover all the turning points (curves) along the alignment of the road. Balance 55 geo-coordinates have been shown for muck dumping sites as per legends (green dots.)	उक्त geo-referenced digital map में 6 points (A,B,C, D,E&F) muck dumping Pint है तथा Balance 55 geo-coordinates में road alignment हैं पुनः geo-referenced digital map संशोधित करते हुए पार्ट-1 के क्रम सं० C(iv) में अपलोड कर दिया गया है।(संलग्नक-1)
3.	In reply to point no 6, it is mentioned that the land of village Ghatora & Koti is involved in the construction of the proposed road and the proceedings of the meeting of Gram Sabha under FRA is enclosed. Further, it is seen that the proceeding of the meeting of Gram Sabha under FRA is submitted for Ghatora GP consistin of Ghatora Village & Koti village only but the Gram Sabha proceeding for Barniyala village mentioned in para -B2-3 online part-a has not been submitted.	ग्राम बमियाला का Village level committee (VLC) FRA certificate संलग्न करते हुए पार्ट-1 के क्रम सं० K(a) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-2 पेज 3 से 4)

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:-

प्रस्तावक विभाग के पत्र की छायाप्रति एवं संलग्नक प्रपत्र।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग**

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 2819 / 10 एल-ए
सेवा में

दिनांक :- 15/9/2016

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 911/12-1 दिनांक 01.09.2016।

महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to point no. 2, it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-1. The muck disposal is proposed to be done on Nap Land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B-2.4 of online Part-1. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2 & B-2.3 of online Part-1 also.	Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-orest land की प्रविष्टि नहीं हो पा रही है।
2	In reply to point no. 3, it is mentioned that the revised geo-referenced digital map showing geo-coordinates at an interval of 200 mtr to 300mtr including all curves is uploped at para-C (iv) of online Part-1. But, it is seen from the geo-referenced map uploaded that the geo-coordinates have been shown at 6 points (A, B, C, D, E & F) only for the road alignment as per legends (blue dots) which does not cover all the turning points (curves) along the alignment of the road. Balance 55 geo-coordinates have been shown for muck dumping sites as per legends (green dots).	उक्त geo-referenced digital map में 6 points (A, B, C, D, E & F) muck dumping Point है तथा Balance 55 geo-coordinates road alignment है पुनः geo-referenced digital map संशोधित करते हुए पार्ट-1 के क्रम संख्या C (iv) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-1 पेज 2)
3	In reply to point no. 6, it is mentioned that the land of village Ghatara & Koti is involved in the construction of the proposed road and the proceedings of the meeting of Gram Sabha under FRA is enclosed. Further, it is seen that the proceeding of the meeting of Gram Sabha under FRA is submitted for Ghatara GP consisting of Ghatara village & Koti village only but the Gram Sabha proceeding for Bamiyala village mentioned in para-B-2.3 online part-a has not been submitted.	ग्राम बमियाला का Village level committee (VLC) FRA certificate संलग्न करते हुए पार्ट-1 के क्रम संख्या K (a) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-2 पेज 3 से 4)

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्त।

(जे.पी.रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



mgk
JE

सहायक अभियन्ता
प्रारंभिक निविद
कर्णप्रयाग

अभियन्ता
प्रारंभिक निविद
कर्णप्रयाग | चमोली

प्रभागीय सहायक
ब्रिनाथ कुं प्रमाण, गोपेश्वरा

प्रपत्र- 23.1


परियोजना का नाम:-

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम कमिथाला
तहसील बरेली जिला बरेली
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बरेली अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की गई
से बरेली गेज साग परियोजना के निर्माण हेतु हे0 आरक्षित वनभूमि हे0 सिविल
सोयमभूमि हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल हे0 वनभूमि का हे0
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कमिथाला द्वारा दिनांक 13/06/2016 को
सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में
अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006
के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम कमिथाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका
विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को
उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक...13/09/2016..... को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत...जिते सिंह.....

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मान सिंह	मान सिंह
2	जगत सिंह	जगत सिंह
3	रघुवीर	रघुवीर
4	मन सिंह	मन सिंह
5	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
6	गुमान सिंह	गुमान सिंह
7	जिते सिंह	जिते सिंह
8	उदय सिंह	उदय सिंह
9	महेश सिंह	महेश सिंह
10	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
11	बलवंत सिंह	बलवंत सिंह
12	लाल सिंह	लाल सिंह
13	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
14	महेश सिंह	महेश सिंह
15	कैसर सिंह	कैसर सिंह

हो.
वन पंचायत सचिव
जिते सिंह

